nt>

14.53 hrs.

(ii) RE: Reported demolition of Ravidas Temple in Hastinapur, Uttar Pradesh

Title : Regarding discrimination against handicapped dalits of IAS and IRS services and reported demolition of Ravidas Temple in Hastinapur, Uttar Pradesh.

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम मैं माननीय सदस्य श्री सिमरनजीत सिंह मान का समर्थन करता हूं। उन्होंने जो विाय उठाया है यह बहुत ही नैशनल इंटरैस्ट का है। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए।

महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी तक यह नियम था कि यदि कोई फिजीकली डिसएबल्ड हों, लेकिन अगर वे एग्जामिनेशन पास कर लेते हैं और उन्हें मैडीकल सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उस परिस्थिति में उन्हें मनचाही पोस्ट और मनचाही रैंक मिल जाती थी। इस बैंत की हमें खुशी है कि इस प्रकार के बहुत सारे अधिकारी हमारे देश में सेवा कर रहे हैं। श्री अजय प्रसाद हैं, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के सचिव के पद पर सेवारत हैं। श्री आर. रमानी हैं, जो उत्तर प्रदेश में सचिव हैं। श्री अजीज अहमद हैं, जो असम सरकार में संयुक्त सचिव हैं। श्री रंगाराव हैं, जो यू.पी. ह्मं एस.डी.एम. हैं। श्री संजय लाल सहगल हैं और श्री सोनाल मिश्रा आदि हैं। ये सब लोग काम कर रहे हैं और यह अच्छी बैंत है, लेकिन जो चिन्ता का विष ाय है वह यह है कि वर्ा 2003 में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो कैंडीडेट हैं, उनके लैए इस पालिसी को एडाप्ट नहीं किया गया है। वर्ा 2003 में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम हुआ उसमें श्री रिगजियान सैम्पेल, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के हैं, उनका लिखित परीक्षा में नंबर 2 रैंक था और वे आई.ए.एस. के लैए योग्य थे और मैडीकली भी उन्हें योग्य करार दिया गया, दूसरे श्री लोकेश कुमार डीएस, वे भी आई.ए.एस. के लैए थे और शेड्यूल्ड कास्ट के थे और तीसरे श्री एम. सतीश थे, वे भी शेड्यूल्ड कास्ट्स के थे - इन तीनों में से दो को आई.ए.एस. के बदले इंडियन इन्फार्मेशन सर्विस दी गई और कोई पोस्ट नहीं दी गई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से दलित वर्ग के साथ यह अन्याय किया गया है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से जो विकलांग हैं, उनके साथ पहली बार सरकार द्वारा ऐसा व्यवहार किया गया है और इनजस्टिस किया गया है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लिखा। वहां से भी उत्तर आया और मंत्री जी ने भी कहा कि इस संबंध में दुबारा मैडीकल बोर्ड बैठाया जाए और यह किया जाए, लेकिन अभी तक उन्हें इस मामले में जस्टिस नहीं मिला है। ये तीनों ही जो शीं है, उसके अन्तर्गत अैंते हैं। ये कोई आई.टी.एस. तो हैं नहीं, जो फिजीकल फिट नहीं होने पर उन्हें डिबार किया जाए। जब दूसरे अनेक लोग काम कर रहे हैं, तो इन शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों के साथ इनजस्टिस क्यों किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इस पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इन्हें न्याय प्रदान किया जाए।

महोदय, तीसरी बात भी मैं शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के साथ हो रहे अन्याय के बारे में ही बताना चाहता हूं। मेरठ में एक गांव हस्तिनापुर है। वहां पिछली 19 जनवरी से शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। इसका कारण यह है कि वहां रविदास जी का एक टेम्पल है जिसे वन विभाग द्वारा ध्वस्त कर दिया गया है। इससे लोगों में काफी आक्रोश है। मैं पिछले दिनों से बराबर कह रहा हूं कि लगातार सुनियोजित तरीके से पूरे देश में शेड्यूल्ड कास्ट्स और विशेाकर जो रविदास टेम्पल या बौद्ध विहार टेम्पल हैं, उनको तोड़ने का अभियान जारी किया गया है। सरकार को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए क्योंकि शेट्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का कांस्टीट्यूशनल राइट है और उनके इस अधिकार की जवाबदेही केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों पर है। मैं इन दोनों मुद्दों पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्ति करना चाहता हूं। अब तो पार्लियामेंट डिजाल्व होने जा रही है।

इसलिए मंत्री जी पार्लियामेंट में तो जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि जो भी यहां सरकार के मंत्री हैं, वे इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहें। पार्लियामेंटरी मिनिस्टर कोई हैं कि नहीं हैं? यदि पार्लियामेंटरी मिनिस्टर हों तो आपके माध्यम से कम से कम इतना तो कह दें कि इस सम्बन्ध में कन्सर्न मिनिस्टर कार्रवाई करेंगे तो इससे कम से कम हमारी संतुटि हो जायेगी। आप कुछ कह दीजिए न।

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोा कुमार गंगवार) : इस सम्बन्ध में जो भी आवश्यक होगा, किया जायेगा।